5

राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट 2018

तारीख	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत कासिमपुरा प्रकरण सं. 27/2013 उनवान सुभाषचन्द्र बनाम हीरालाल वगैरह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आ. आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा	राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" अभियान-2018
26.06.2018	यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत कासिमपुरा मे पेश हुई। पक्षकारानो मे से कोई उपस्थित नही आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, पाया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना-पत्र दिनांक 24.01.2013 को विरूद्ध अनावेदकगण बाबत लेने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना-पत्र मे वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए दोनो पक्षो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकिं विचाराधीन विवाद मे अनावश्यक कोई बाधाकारित न हो सके। अतः दोनो पक्षो को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताः फैसला दावा प्रार्थना-पत्र मे वर्णित भूमि मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राजस्थान)	

Scanned by CamScanner